भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *144

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी

***144. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:**

श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंतः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के 15वें दौर के अंतर्गत पेशकश की गई कोयला खानों की कुल संख्या और उनके नामों का छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक खान के लिए प्राप्त बोलियों और सफल बोलीदाताओं की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और कंपनी के नाम, अंतिम बोली मूल्य, उत्पादन क्षमता और खनन कार्य शुरू करने की अनुमानित समय-सीमा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन नई नीलामियों से प्रभावित स्थानीय जनजातीय समुदायों के लिए नीलामियों में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने, कठोर पर्यावरणीय अनुपालन और स्पष्ट पुनर्वास ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन नए नीलाम किए गए ब्लॉकों में सतत खनन पद्धतियों को इष्टतम बनाने और भूमि के पुनरुद्धार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया है।

"वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी" के संबंध में श्री बलवंत बसवंत वानखडे और श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत द्वारा दिनांक 29.07.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *144 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरणः

(क) : वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी के 15वें दौर के अंतर्गत कुल 12 कोयला खानों की पेशकश की गई थी, जिनका ब्यौरा अनुबंध-I में देखा जा सकता है।

(ख) : वाणिज्यिक नीलामी के 15वें दौर में रखी गई 12 कोयला खानों में से 6 कोयला खानों के लिए कुल 18 बोलियां प्राप्त हुई हैं। प्राप्त बोलियों का विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

क्र.सं.	**कोयला खान का नाम**	**पीक रेटेड क्षमता (एमटीपीए)**	**बोलीदाता का नाम**
1	पीकेओसी का डिप साइड एक्सटेंशन	2.5	तेलंगाना पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
			सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड
2	मंडला दक्षिण	0.22	क्यूब कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
			श्याम ओर्स (झारखंड) प्राइवेट लिमिटेड
3	मार्गो ईस्ट*	लागू नहीं	बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
			झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4	मार्गो वेस्ट*	लागू नहीं	बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
			झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5	तारा (संशोधित)	6.00	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड
			सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड
			सीजी सिन-गैस एंड केमिकल्स लिमिटेड
			एएमआर इंडिया लिमिटेड
			जिंदल पावर लिमिटेड
			नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
			पेन्ना एंटरप्राइजेस लिमिटेड
			एएमपीएल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड
			नीलकंठ इंफ्रा माइनिंग लिमिटेड
6	जवरदाहा दक्षिण*	लागू नहीं	झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

**आंशिक रूप से खोजे गए ब्लॉकों के लिए पीआरसी मान उपलब्ध नहीं हैं*

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी का 15वां दौर वर्तमान में बोली मूल्यांकन चरण में है। मानक निविदा पद्धति के अनुसार, बाद में इलेक्ट्रॉनिक नीलामी तभी आयोजित की जाएगी, जब प्रस्तुत बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा और संबंधित बोलीदाताओं को तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया जाएगा। इसलिए, सफल बोलीदाताओं, अंतिम बोली मूल्य और उत्पादन की समय-सीमा इस नीलामी प्रक्रिया के समाप्त होने पर निर्धारित की जाएगी।

खनन प्रचालनों को शुरू करने के लिए अनुमानित समय-सीमा करार में निर्धारित दक्षता मानदंडों द्वारा शासित होती है, जिसमें खान खोलने की अनुमति (अथवा बोर्ड अनुमोदन, जैसा भी लागू हो) प्रदान करने तक सभी अनिवार्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिकतम अनुमत अवधि निर्धारित की जाती है। तदनुसार, सभी पूर्व-प्रचालन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवंटन की तारीख से अनुमत अधिकतम समय पूरी तरह से अन्वेषित खानों के लिए 40 महीने और आंशिक रूप से अन्वेषित खानों के लिए 52 महीने है।

(ग) : सरकार ने नीलामियों में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता, कडाई से पर्यावरणीय अनुपालन और स्थानीय जनजातीय समुदायों के लिए पुनर्वास ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं।

पारदर्शिता और दक्षता कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम और खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत संस्थागत रूप से एक नियम-आधारित नीलामी ढांचे के माध्यम से अंतर्निहित है। नीलामी दो-चरणीय इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया का उपयोग करते हुए एमएसटीसी ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन आयोजित की जाती है, जिसमें स्पष्ट पात्रता मानदंड, पूर्वनिर्धारित राजस्व-साझाकरण बोलियां, निविदा दस्तावेजों का सार्वजनिक प्रकटीकरण और स्वविवेक को सीमित करने के लिए समय-सीमा में बोली प्रस्तुत करना शामिल हैं। योग्य बोलीदाताओं, नीलामी परिणामों और आवंटन का विवरण सार्वजनिक डोमेन में रखा जाता है। सुरक्षा उपायों में बोलीदाता की योग्यता आवश्यकताएं, संबंधित पक्षों से भागीदारी का अनिवार्य प्रकटीकरण और मिलीभगत वाले आचरण के विरूद्ध वचनबद्धता देना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, गलत जानकारी देने के मामलों में कोयला ब्लॉकों को रद्द करने और भावी नीलामी से प्रतिबंधित करने जैसे प्रावधान निवारक के रूप में कार्य करते हैं। रियल-टाइम जांच को मजबूत करना और दृढ़तापूर्वक दंड लागू करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि वाणिज्यिक कोयला खनन में निजी भागीदारी प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी बनी रहे।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) के माध्यम से सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया है। सभी कोयला खनन परियोजनाओं को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुपालन की निगरानी के

साथ परियोजना-विशिष्ट पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं द्वारा समर्थित अपेक्षित पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। केन्द्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत एक विनियामक उपकरण के रूप में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रिया तैयार की है। उक्त अधिनियम के तहत, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने समय-समय पर यथा संशोधित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 को अधिसूचित किया है, जो कोयला कंपनियों द्वारा तैयार ईआईए रिपोर्टों के व्यापक विश्लेषण के बाद पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान करने की प्रक्रिया से संबंधित है। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां उत्सर्जन/बहिस्राव मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए वायु (वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के तहत प्रचालन करने की सहमति जारी करते हैं।

सीएमडीपीए के खंड 11.5 के अनुसार, सफल बोलीदाता को आधुनिक और प्रचलित प्रौद्योगिकियों के अनुरूप कोयला खान में खनन प्रचालन करने के मशीनीकृत साधनों का क्रियान्वयन करना अपेक्षित है; ताकि खनन कार्यों से कार्बन फुटप्रिंट को न्यूनतम करने की दिशा में प्रयास किया जा सके और अच्छी उद्योग पद्धति के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा सके; और पिट-हेड से कोयले के परिवहन के लिए मशीनीकृत लोडिंग और फर्स्ट-माइल कनेक्टिविटी की स्थापना करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा सके और इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके।

जहां तक कोयला खनन परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण और वन भूमि के डायवर्जन का संबंध है, यह लागू सांविधिक उपबंधों द्वारा अभिशासित होता है, जिसमें पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए), अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (एफआरए), संगत भूमि अधिग्रहण कानून और वन और पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। परियोजना प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) लाभ लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं, जिसमें यथा लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 और कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 शामिल हैं। जहां कहीं भी पीईएसए और एफआरए के प्रावधान लागू होते हैं, संबंधित सांविधिक ढांचे के तहत यथा अपेक्षित ग्राम सभा के परामर्श अथवा सहमति सहित निर्धारित प्रक्रियाओं का संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित अनुमोदन प्रदान करने से पहले अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

(घ) : सरकार ने संधारणीय खनन और वैज्ञानिक भूमि पुनरूद्धार को बढ़ावा देने के लिए नीलाम किए गए वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों को अभिशासित करने वाले सांविधिक और संविदात्मक ढांचे के भीतर व्यापक पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को शामिल किया है। सभी कोयला खनन

परियोजनाओं को परियोजना विशिष्ट पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं द्वारा समर्थित अपेक्षित पर्यावरणीय मंजूरी और वन मंजूरी प्राप्त करना अपेक्षित है और इनके अनुपालन की निगरानी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा की जाती है। खनन योजना और खान बंद करने की योजना के दिशा-निर्देशों में कोयला कंपनियों द्वारा खान बंद करने की लागत के जमा किए जाने को विधिवत सुनिश्चित करने और बंद करने संबंधी गतिविधियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के बाद प्रतिपूर्ति के दावे के निपटान के लिए भूमि पुनरूद्धार का प्रावधान है। भूमि का पुनरूद्धार उत्तरोत्तर और खनन कार्यकलाप के पूरा होने के बाद भी प्रगतिशील और अंतिम रूप से खान बंद करने की योजना के अनुसार की जानी है। कोयला खान विकास और उत्पादन करार (सीएमडीपीए) के तहत सफल बोलीदाताओं को प्रौद्यागिकियों तकनीकों का उपयोग करके मशीनीकृत खनन को अपनाने, कार्बन फुटप्रिंटस को कम करने, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने, कोयला निकासी के लिए फर्स्ट-माइल कनेक्टिविटी स्थापित करने और खान बंद करने की अनुमोदित योजना और लागू कानूनों के अनुसार पारिस्थितिक पुनरूद्धार के साथ वैज्ञानिक रूप से खान बंद करने की आवश्यकता होती है। सरकार कम प्रभाव वाली उन्नत खनन प्रौद्योगिकियों को अपनाने, उत्पादक उद्देश्यों के लिए ओवरबर्डन के उपयोग करने, धूल शमन उपायों का कार्यान्वयन करने और खनन किए गए क्षेत्रों का पुनरूद्धार करने और पर्यावरणीय संधारणीयता में सुधार करने के लिए वनीकरण और जैव-सुधार कार्यकलापों को भी बढ़ावा देती है।

अनुबंध-I

वाणिज्यिक नीलामी के 15वें दौर में पेश की गई कोयला खानों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	कोयला खान का नाम	अधिनियम	अन्वेषण की स्थिति
1	छत्तीसगढ़	तारा (संशोधित)	सीएमएसपी	अन्वेषित
2		माही वेस्ट	एमएमडीआर	अन्वेषित
3		तेरम	एमएमडीआर	अन्वेषित
4	झारखंड	जवरदाहा दक्षिण	एमएमडीआर	आंशिक रूप से अन्वेषित
5		मार्गो ईस्ट	एमएमडीआर	आंशिक रूप से अन्वेषित
6		मार्गो वेस्ट	एमएमडीआर	आंशिक रूप से अन्वेषित
7	मध्य प्रदेश	मंडला दक्षिण	सीएमएसपी	अन्वेषित
8		ब्रह्मपुरी	सीएमएसपी	अन्वेषित
9	ओडिशा	टाकुआ	एमएमडीआर	आंशिक रूप से अन्वेषित
10	तेलंगाना	पीकेओसी का डिपसाइड	एमएमडीआर	अन्वेषित
11	पश्चिम बंगाल	जगन्नाथपुर ए	सीएमएसपी	आंशिक रूप से अन्वेषित
12		जगन्नाथपुर बी	सीएमएसपी	अन्वेषित